

प्रेषक,  
मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,  
समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

पत्र सं०: एस०पी०एम०यू०/NPCB/दि० नि०/०४/२०१३-१४/

दिनांक: 27/3/14

विषय : राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१३-१४ में द्वितीय किस्त हेतु जनपदवार, गतिविधिवार अवमुक्त धनराशि एवं तदसम्बन्धी दिशा-निर्देश।

महोदया/महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की आर०ओ०पी० २०१३-१४ के एफ०एम०आर० कोड सं०-एच में राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत रू० २५४४.१० लाख की धनराशि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है, जिसके सापेक्ष जनपदों को रू० ७९१.५९०७५ लाख की धनराशि आवंटित की जा चुकी है।

२. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० द्वारा उपलब्ध कराए गए फांट के अनुसार राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष २०१३-१४ की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किस्त के रूप में रू० १२९२.५८ लाख की धनराशि आवंटित कर प्रथम किस्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के उपरान्त जनपदों की शेष अनस्पेन्ट धनराशि को घटाते हुये निम्नलिखित सारिणी के अनुरूप जिलों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में रू० ९०८.८५०४५ लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है-

(Amount in Rs)

Sl.	District Name	Cat.Govt. sector @ 450/oprt n	Cat.NGO sector @ 1000/oprt n	Other Eye Diseases	Free Spect. School Children	Free Spect Old Peoples	Eye Donatio n to Eye Banks	Total proposal by SPO for 2nd released	Balance in districts after 1st released	Total amount to be released
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (9-10)
1	Agra	809000	2330175	581250	329250	54875	100000	4204550	0	4204550
2	Aligarh	723900	2084850	456250	276100	46025	100000	3687125	0	3687125
3	Allahabad	999300	2878050	806250	447900	74650	150000	5356150	0	5356150
4	Ambedkar Nagar	289000	832350	0	180300	30050		1331700	491657	840043
5	Amethi	180750	520500	0	112750	18800		832800	2142978	0
6	Amroha	185400	533925	0	115650	23025		858000	815705	42295
7	Auraiya	165350	476175	0	103150	17200		761875	588562	173313
8	Azamgarh	392150	1129425	0	346950	57825		1926350	2235212	0
9	Badaun	447350	1288350	0	279050	46500		2061250	0	2061250
10	Bagpath	156900	451875	0	97850	16300		722925	1182629	0
11	Bahraich	419100	1206975	0	261400	43575		1931050	903835	1027215
12	Ballia	388400	1118625	0	242300	40375		1789700	0	1789700
13	Balrampur	258950	745725	0	161500	26925		1193100	65891	1127209
14	Banda	216800	624450	0	135250	22550		999050	1090001	0
15	Barabanki	392550	1130550	0	244850	40800		1808750	0	1808750
16	Barcilly	538000	1549500	581250	335600	55925	50000	3110275	0	3110275
17	Basti	296500	854025	187500	184950	30825		1553800	606485	947315
18	Bijnore	0	1278300	0	276850	46150		1601300	0	1601300
19	Bulandshahar	421550	1213950	0	262950	43825		1942275	763247	1179028
20	Chandauli	199150	573450	0	124200	24500		921300	0	921300

Sl.	District Name	Cat.Govt. sector @ 450/oprt n	Cat.NGO sector @ 1000/oprt n	Other Eye Diseases	Free Spect. School Children	Free Spect Old Peoples	Eye Donatio n to Eye Banks	Total proposal by SPO for 2nd released	Balance in districts after 1st released	Total amount to be released
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (9-10)
21	Chitrakut	119350	343725	0	74450	12400		549925	951912	0
22	Deoria	373350	1075200	0	232900	38825	50000	1770275	0	1770275
23	Etah	212200	611100	0	132350	22050		977700	373681	604019
24	Etawah	190250	547950	0	118700	19775		876675	1638850	0
25	Faizabad	297400	856500	0	185500	30925		1370325	0	1370325
26	Farrukhabad	227450	654975	0	141850	23650		1047025	0	1047025
27	Fatehpur	317200	913575	0	197850	32975		1461600	0	1461600
28	Firozabad	0	866400	0	187650	31275		1085325	0	1085325
29	G B Nagar	272100	783600	200000	125850	20975	100000	1502525	126998	1375527
30	Gaziyabad	557700	1606125	331250	260150	33350	100000	2888575	0	2888575
31	Ghazipur	436450	1257075	0	272250	45375		2011150	1907746	103404
32	Gonda	413450	1190700	0	257900	42975		1905025	1121744	783281
33	Gorakhpur	675150	1944375	437500	333400	55575	50000	3496000	466108	3029892
34	Hamirpur	133000	383100	0	83000	13825		612925	531357	81568
35	Hapur	144600	416400	0	90200	25050		676250	1242658	0
36	Hardoi	492950	1419750	0	307500	51250		2271450	0	2271450
37	Hathras	188650	543300	0	117650	19600		869200	0	869200
38	Jalaun	201300	579750	0	125550	20925		927525	239759	687766
39	Jaunpur	539300	1553175	0	336400	56075		2484950	0	2484950
40	Jhansi	0	1369275	456250	150350	25050		2000925	0	2000925
41	Kannauj	199750	575325	0	124600	20775		920450	0	920450
42	Kanpur (Dehat)	216300	622875	0	134900	22475		996550	1589607	0
43	Kanpur (Urban)	902550	2599350	656250	343700	57275	100000	4659125	0	4659125
44	Kashganj	173250	499050	0	108100	18025		798425	1398996	0
45	Kaushambi	192400	554100	0	120000	20000		886500	0	886500
46	Kheri	483600	1392750	0	301650	50275		2228275	1962989	265286
47	Kushinagar	429050	1235625	0	267600	44600		1976875	1193636	783239
48	Lalitpur	0	422625	0	91550	15250		529425	0	529425
49	Lucknow	881000	2537175	781250	344850	57475	250000	4851750	10143797	0
50	Maharajganj	321150	924825	0	200300	33375		1479650	303594	1176056
51	Mahoba	105550	303975	0	65850	10975		486350	671826	0
52	Mainpuri	222500	640950	0	138850	23150	100000	1125450	0	1125450
53	Mathura	306250	882075	0	191050	31850		1411225	0	1411225
54	Mau	265700	765225	0	165750	27625		1224300	529761	694539
55	Meerut	884100	3182850	656250	259100	43175	100000	5125475	0	5125475
56	Mirzapur	300550	865575	0	187500	31250		1384875	0	1384875
57	Moradabad	571150	1644900	575000	268550	34725	100000	3194325	0	3194325
58	Muzaffar Nagar	354050	1019700	0	220850	26800		1621400	1457888	163512
59	Pilibhit	245450	706950	0	153100	25525		1131025	911880	219145
60	Pratapgarh	382400	1101300	0	238550	39750		1762000	0	1762000
61	Raibareilly	410150	1181175	0	255850	42650		1889825	1468054	421771
62	Rampur	317550	914475	0	198050	29250		1459325	2616198	0

Sl.	District Name	Cat.Govt. sector @ 450/oprt n	Cat.NGO sector @ 1000/oprt n	Other Eye Diseases	Free Spect. School Children	Free Spect Old Peoples	Eye Donatio n to Eye Banks	Total proposal by SPO for 2nd released	Balance in districts after 1st released	Total amount to be released
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (9-10)
63	Saharanpur	417400	1202100	0	260350	43400		1923250	576532	1346718
64	Sambhal	144600	416400	0	90200	25050		676250	1122558	0
65	Sant Kabir Nagr	206550	594900	0	128850	21475		951775	0	951775
66	Sant Ravi das Nagar	187250	539325	0	116800	19475		862850	0	862850
67	Shahjahanpur	361750	1041825	0	225650	37600		1666825	1341195	325630
68	Shamli	144600	416400	0	90200	25050		676250	221728	454522
69	Shravasti	134300	386775	0	83750	13950		618775	587783	30992
70	Siddharthnagar	307650	886050	0	191900	31975		1417575	967221	450354
71	Sitapur	421950	1215150	0	336300	56050		2029450	0	2029450
72	Sonbhadra	224400	646350	0	140000	23325		1034075	0	1034075
73	Sultanpur	276000	794925	0	172200	28700		1271825	431807	840018
74	Unnao	374800	1079400	0	233800	38975		1726975	0	1726975
75	Varanasi	620450	1982775	781250	299450	46125	150000	3880050	1563587	2316463
<b>Total</b>		<b>25258100</b>	<b>77512500</b>	<b>7487500</b>	<b>15000000</b>	<b>2500000</b>	<b>1500000</b>	<b>129258100</b>	<b>50547652</b>	<b>90885045</b>

3. कार्यक्रम के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग इस कार्यालय/महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र० कार्यालय द्वारा पूर्व में प्रेषित किये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

4. धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

5. स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

6. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकी में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।

7. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित कराये जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।

8. आपके स्तर से समस्त इकाइयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।

9. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ०एम०आर०) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ०एम०आर० में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहे।

10. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियाँ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूसरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट टीम एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

11. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
12. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षक द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेंस आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।
13. कार्यक्रम के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि के उपयोग तथा कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार विस्तृत दिशा-निर्देश महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०/संयुक्त निदेशक (नेत्र)/राज्य कार्यक्रम अधिकारी द्वारा पृथक से सम्बन्धित जनपदों को निर्गत किया जायेगा। कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुये प्रति माह मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित की जायेगी।
14. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय,

(अमित कुमार घोष)  
मिशन निदेशक

तददिनांक

पत्र सं०: एस०पी०एम०यू०/NPCB/04/2013-14/6479-75-9

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।
3. निदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त, जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य सोसायटी, उत्तर प्रदेश।
7. संयुक्त निदेशक (नेत्र)/राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ की भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार विस्तृत दिशा-निर्देश पृथक से सम्बन्धित जनपदों को निर्गत करना सुनिश्चित करें तथा कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुये प्रति माह मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
8. महाप्रबन्धक, एम०आई०एस०, एस०पी०एम०यू०, एन०आर०एच०एम० को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन०आर०एच०एम० की वेबसाइट- [www.upnrhm.gov.in](http://www.upnrhm.gov.in) पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

2013/14  
(अमित कुमार घोष)  
मिशन निदेशक